*सहकारी बैंकों के बारे में भविष्य एवं नए विचार**

आर. गांधी

भारत में सहकारी आंदोलन एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। उसका विनियमन भी एक शताब्दी से अधिक पुरानी बात है जिसमें पहला बड़ा प्रोत्साहन 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने से मिला। सहकारी बैंक लंबा सफर तय कर चुके हैं और तब से अब तक बहुत से उतार-चढ़ाव देख चुके हैं। सहकारी बैंकों ने वित्तीय समावेशन में मौलिक भूमिका का निर्वाह किया है और देश के कोने-कोने में, विशेषरूप से पिछड़े गांवों में भी, समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग की बैंकिंग तथा ऋण संबंध आवश्यकताओं का ध्यान रखा है।

I. अतीत में झांकना

2. पारंपरिक रूप से, सहकारी संरचना दो हिस्सों, नामतः ग्रामीण एवं शहरी में विभाजित है। त्रिस्तरीय अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) में 90,000 से अधिक प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां (पीएसीएस), 367 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) तथा 33 राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) शामिल हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 1579 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) हैं। सहकारी बैंकों की इतनी विशाल संख्या होने के बावजूद, कुल आस्ति आकार को देखा जाए तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उनका हिस्सा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार से, यह देखा जा सकता है कि सहकारी बैंकों ने अपनी वास्तविक क्षमता को हासिल नहीं किया है। मैं ऐसा होने के हाल ही के कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में विस्तार से कहना चाहूंगा।

प्रौद्योगिकी को अपनाने में अरूचि

3. प्रौद्योगिकी आधारित वर्तमान दुनिया में प्रतिस्पर्धी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई प्रौद्योगिकी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और सीबीएस प्रणाली को लागू करने में सहकारी बैंकों की अरूचि, उनके विकास की प्रमुख बाधा साबित हुई है।

4. शहरी सहकारी बैंकों को सीबीएस लागू करने के लिए क्रमबद्ध समय-सीमा निर्धारित की गई थी जिसकी अंतिम समय-सीमा दिसंबर 2014 थी। फिर भी, सिर्फ 913 यूसीबी पूरी तरह से सीबीएस को लागू किए हैं और 330 यूसीबी अभी भी सीबीएस को लागू करने की प्रक्रियाधीन हैं। इसके आलावा, 336 यूसीबी ने इसे लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं किया है। यूसीबी से प्राप्त होने वाले अनुरोधों के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस मामले को आईडीआरबीटी से भी इस बारे में बात की है ताकि सीबीएस के बारे में कुछ एक समान न्यूनतम बेंचमार्क का निर्धारण किया जा सके और क्लाउड आधारित किसी सुविधा को तैयार किया जा सके जो अपेक्षाकृत छोटे यूसीबी के लिए कम लागत वाली होते हुए भी विश्वसनीय हो।

5. जहां तक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का संबंध है, संस्थागत विकास के अपने अधिदेश के हिस्से के तहत नाबार्ड ने आरसीबी को सीबीएस प्लेटफार्म के अंतर्गत लाने की अपनी महत्वाकांक्षी, जिसकी बहुत आवश्यकता भी है, परियोजना का प्रारंभ किया है। कुल मिलाकर 201 बैंक (डीसीसीबी/एसटीसीबी) इस परियोजना में शामिल हुए हैं जिनकी 6953 शाखाएं पहले से सीबीएस प्लेटफार्म के अंतर्गत हैं। नाबार्ड की परियोजना से इतर, 178 लाइसेंसीकृत सहकारी बैंकों में से 177 बैंकों ने सीबीएस को लागू कर दिया है। किंतु, निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

सहकारी स्वरूप में क्षीणता

6. सहकारी बैंकों के सहकारी स्वरूप में क्षीणता आ रही है, जैसा कि सीएबी, पुणे द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से स्पष्ट होता है। अध्ययन में निम्नलिखित बातों की ओर संकेत किया गया है - एजीएम में कम उपस्थिति, नए सदस्यों को शामिल करने में प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, नए प्रबंध-तंत्र के चुनाव में कम मतदान होना, उसी प्रबंध-तंत्र या उनके परिवार के सदस्यों का पुनः चुनाव होना, सर्वसम्मत चुनाव होना, एजीएम में सार्थक चर्चा की कमी, इत्यादि।

* राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थान (एनआईआरबी) के रजत जयंती समारोह में 19 जून 2015 को बेंगलुरू में श्री आर. गांधी, उप गवर्नर द्वारा दिया गया भाषण। श्री पी. के. अरोड़ा द्वारा प्रदान की गई सहायता के प्रति आभार प्रकट किया जाता है।

इस प्रकार से, यह देखा गया कि सहकारी बैंक, विशेष रूप से यूसीबी, अपने सहकारी स्वरूप को खो रहे हैं। इस प्रक्रिया में, उनमें से कुछ 'इतने विशाल हो गए हैं कि सहकारी हो नहीं सकते'। लोकतंत्र की भावना को जीवित रखने के लिए, संस्थाओं द्वारा स्वयं की ओर से तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों के लिए प्रासंगिक बनी रहें।

पेशेवर अंदाज तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी

7. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कमजोर होना, इस क्षेत्र को संक्रमित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक रहा है, जिसके कारण बैंक विफल हुए हैं/क्षेत्र की वृद्धि असंतोषजनक रही है। सहकारिता राज्य का विषय होने के कारण इन बैंकों के प्रबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं। इस अधिनियम की धारा 10बी में शामिल मुख्य कार्यपालक अधिकारी/बोर्ड-सदस्यों की शर्तें भी निर्धारित नहीं की गई हैं।

8. इस समस्या के समाधान के लिए, मालेगाम समिति ने यूसीबी के लिए नई संगठनात्मक संरचना का सुझाव दिया है जिसमें निदेशक मंडल के अलावा प्रबंध मंडल भी शामिल हो। विचार यह था कि यूसीबी के बैंक के रूप में कामकाज से सहकारी समिति के रूप में स्वामित्व को अलग किया जाए। जहां, सहकारी समिति पंजीयक सहकारी समिति के रूप में यूसीबी के नियंत्रण एवं विनियमन को जारी रखेगा वहीं पर भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक के रूप में इनके कामकाज का नियंत्रण एवं विनियमन करेगा। समिति ने इसे यूसीबी को लाइसेंस प्रदान करने की शर्त बनाए जाने की अनुशंसा की है।

9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2001 में शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में गठित उच्चाधिकार समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में यूसीबी के बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशकों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाया गया। इसे सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत एवं सुप्रबंधित (एफएसडब्लूएम) नाम दिए जाने की शर्त भी मानी गयी। हालांकि, यह देखा गया है कि 111 यूसीबी के बोर्ड में अभी भी पेशेवर निदेशक नहीं हैं जिसका उनके समग्र निष्पादन में ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। संविधान के (97वें संशोधन) अधिनियम 2011 में सहकारी बैंकों को बोर्ड में थोड़ा पेशेवर अंदाज प्रदान करने की कोशिश की गई है किंतु वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों की भांति पेशेवर प्रबंध दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है।

II. वर्तमान मुद्दे

निशे या सर्वव्यापी वाणिज्य बैंकों के रूप में परिवर्तन

10. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2013 में 'भारत में बैंकिंग संरचना-आगे की राह' विषय पर चर्चा पत्र लाया। इस पत्र में चार-स्तरीय बैंकिंग संरचना की संकल्पना की गई जिसमें अंतरराष्ट्रीय बैंकों को टियर-I, राष्ट्रीय बैंकों को टियर II, क्षेत्रीय बैंकों को टियर III तथा स्थानीय बैंकों को टियर-IV के अंतर्गत रखा गया। इस पत्र में वर्तमान बैंकिंग संरचना को अधिक गतिशील तथा अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के अनुरूप बनाने के लिए इसकी पुनर्व्यवस्था किए जाने के मामले को सामने लाकर खड़ा कर दिया है और पुनर्व्यवस्था करने के मूलभूत निर्धारकों के संबंध में भी सुझाव दिया गया है, जिसमें अन्य बातों केसाथ ही विशेषीकृत/पृथक बैंकों की स्थापना करना तथा शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों या स्थानीय क्षेत्र बैंकों/लघु बैंकों में रूपांतरित करना, जो सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हों, भी शामिल है। इस प्रकार से, इस पत्र में समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी बैंकों को सबसे निचले टियर में रखने की आवश्यकता को चिह्नित किया है।

11. भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों के संबंध में दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिया है। लघु वित्त बैंक (एसएफबी), लघु कारोबारी इकाइयों, लघु एवं सीमांत किसान, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं; म्यूचुअल फंड इकाइयों, बीमा उत्पादों, पेंशन उत्पादों के वितरक से एडी श्रेणी II डीलर बने लोगों सहित सेवा से वंचित तथा अपूर्ण सेवाएं प्राप्त करने वाले वर्ग से जमा स्वीकार करने एवं उनको ऋण प्रदान करने की प्राथमिक बैंकिंग गतिविधियां करेंगे। शाखा विस्तार की वार्षिक योजना को कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलने की अपेक्षा के अनुसार होना चाहिए तथा लघु वित्त बैंकों के परिचालन का क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा।

12. विरोधाभासी बात है कि यूसीबी का परिचालन क्षेत्र सीमित होता है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अपने परिचालनगत क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं और अपने परिचालन क्षेत्र में कहीं भी शाखाएं खोल सकते हैं जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में खोली गई शाखाओं की कोई निर्धारित संख्या नहीं है। यूसीबी को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए अनुमत्य सेवाओं के अलावा निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं - विशेषीकृत शाखाएं खोलना, द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में इन्ट्रा-डे शॉर्ट सेलिंग करना, कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में रेडी फॉरवर्ड कांट्रेक्ट करना, करेंसी चेस्ट खोलना, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) का लाभ लेना, एनडीएस-ओएम की सदस्यता लेना, कारोबारी प्रतिनिधियों(बीसी)/कारोबारी सुविधाप्रदाताओं (बीएफ) की सेवाएं लेना, पीएएन सर्विस ऐजेंट के रूप में कार्य करना, प्री-पेड भुगतान लिखत जारी करना, डीमैट खाता धारकों को ट्रेडिंग की सुविधा लेना, मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी जैसी केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों की उपलब्धता इत्यादि। इस प्रकार से, यह देखा जा सकता है कि सहकारी बैंक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सर्वव्यापी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि लघु बैंकों को पूरे भारत में सीमित (निशे) सेवाएं उपलब्ध कराने का अधिदेश है।

13. यह देखना रोचक होगा कि यूसीबी उनको उपलब्ध कराए गए अवसरों पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे वर्तमान बैंकों के रूप में जारी रहते हैं या स्वयं को सर्वव्यापी बैंकों के रूप में परिवर्तित करते हैं जिसमें और कठोर पर्यवेक्षण और अपेक्षाकृत अधिक कठोर बासेल II तथा III के मानदंडों को पूरा करते हुए ग्राहकों को प्रत्येक संभव उत्पाद उपलब्ध कराने की योग्यता या अपने सर्वव्यापी स्वरूप को त्याग देते हैं और सिर्फ सीमित (निशे) उत्पाद उपलब्ध कराते हुए एसएफबी में परिवर्तित होते हैं।

14. संरचना, पूंजीगत निधियन तथा लघु एवं सीमांत किसानों और ग्रामीण हस्तकारों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के अधिदेश के अनुसार ग्रामीण सहकारी बैंक अलग तरह की संस्था होते हैं। इन बैंकों के पास कृषि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने/बनाए रखने के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्तीयन और कृषि ऋणों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से ब्याज माफी की सुविधा उपलब्ध होती है। सरकारी नीति के अनुपालन में राज्य सरकारों की बहुत सी समाज कल्याण योजनाओं को इन संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण सहकारी बैंक भी 'निशे बैंकों' के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनका परिचालन क्षेत्र सीमित है जो स्थानीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं।

एसएफबी तथा भुगतान बैंकों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा

15. एसएफबी को वंचित तथा अपूर्ण सेवाएं प्राप्त करने वाले वर्गों को सेवाएं प्रदान करने का अधिदेश होने के कारण वे स्वतः सहकारी बैंकों के प्रतियोगी बन जाते हैं। सहकारी बैंकों के पास वर्तमान में जो प्रमुख लाभ की स्थिति है वह है विशिष्ट समुदायों तथा निचले तबके के लोगों से उनका गहरा संबंध होना, जिसके कारण वे कम लागत वाले जमाराशि एकत्र करने में, जो कारोबार के लाभप्रद होने के लिए पूर्व-आवश्यकता है, एसएफबी की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। प्रकृति से स्थानीय होने तथा स्थानीय समुदायों से अभिन्न रूप से घुले-मिले होने के कारण सहकारी बैंक प्रस्तावित एसएफबी की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। लक्षित समुदायों के बीच विश्वास कायम करना और ग्राहकों को अपने करीब लाना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान है। कुल राशि के रूप में देखा जाए तो वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों का कुल कृषि तथा शहरी ऋणों में हिस्सा कम होने के बावजूद वे प्रदान किए जाने वाले छोटे ऋणों की संख्या के अनुसार अग्रणी हैं। वाणिज्य बैंक छोटे ऋण प्रदान करने से कतराते हैं क्योंकि छोटे मूल्य वाले खातों से ऋण चुकौती महंगी पड़ती है।

16. उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी पर निर्भर एसएफबी तथा भुगतान बैंक सहकारी बैंकों को बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रायोजित भुगतान बैंक धन विप्रेषण के कारोबार को सहकारी बैंकों से आसानी से हथिया सकते हैं। सहकारी बैंकों को स्वयं को इस भीषण प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अपनी प्रणालियों में काफी परिवर्तन लाना होगा।

सहकारी बैंकों की प्रासंगिकता

17. जहां अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक संस्थागत वित्तीय सुविधाओं से दूर है, वहीं वित्तीय समावेशन की

संकल्पना ने 21वीं शताब्दी में इसे एक नया अर्थ प्रदान किया है। वित्तीय समावेशन में केवल ऋण प्रदान करना नहीं है, बल्कि बचत खाता, बीमा और विप्रेषण उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। सहकारी बैंकों की खास विशेषताएँ हैं, वे स्थानीय होते हैं, उनका स्वरूप लोकतांत्रिक होता है और वे स्वतः ही ऐसे केंद्र पर स्थापित होते हैं जो वित्तीय समावेशन की किसी भी मुहिम के लिए सार्थक होते हैं। स्वयं को अंतिम मील तक से जोड़े रखना इन बैंकों के कारोबार को क़ायम रखेगा। लेकिन ऐसा हासिल करने के लिए सहकारी बैंकों को कार्पोरेट गवर्नेंस पर फोकस करना होगा और वर्तमान वितरणकारी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा तथा किफायती उत्पाद पेश करने होंगे और छोटे वित्त तथा भुगतान बैंकों से उत्पन्न होने वाली स्पर्धा को अपने अनुकूल बनाना होगा।

गैर लाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की स्थिति

18. चूंकि देश में अनेक बिना लाइसेंस वाले बैंक क्रियाशील थे, इसलिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (अध्यक्षः डॉ. राकेश मोहन) ने यह सिफारिश की थी कि 31 मार्च 2012 के बाद किसी भी सहकारी बैंक को बिना लाइसेंस के कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

19. 31 मार्च 2009 को 31 राज्य सहकारी बैंक तथा 371 जिला मध्यवर्ती बैंक कार्य कर रहे थे जो सहकारी ऋण-संरचना के अल्पकालिक ऋणों के हिस्से थे। इन बैंकों में से 313 बैंकों (17 राज्य सहकारी बैंक, 296 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) के पास लाइसेंस नहीं थे। भारतीय रिज़र्व बैंक की यह वचनबद्धता थी कि केवल ऐसे बैंकों को अनुमति दी जाए जिनके पास लाइसेंस हों, इसलिए उस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु लाइसेंस मानदंडों को आसान बना दिया जिससे 290 सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) को बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो गया। केवल 4 राज्यों में 23 बैंकों के पास लाइसेंस नहीं हैं, वे राज्य हैंः (उत्तर प्रदेश - 16, जम्मू और कश्मीर - 3, महाराष्ट्र - 3, और पश्चिम बंगाल - 1)।

20. भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेगुलेटरी कार्रवाई करते हुए मई 2012 में बिना लाइसेंस वाले बैंकों को निर्देश जारी किए कि वे नये डिपाजिट स्वीकार न करें, और मार्च 2013 में उन्हें लाइसेंस प्रदान करने के उनके आवेदनों को निरस्त करने के लिए कारण-बताओ नोटिस जारी किए। इसके अलावा, मई 2014 में चार बैंकों को उनके आवेदनों को निरस्त करते हुए स्वतः स्पष्ट आदेश जारी किए गए और रजिस्ट्रार, सहकारी बैंकों की समिति को परिसमापक बैठाने के लिए अनुरोध किया गया।

21. लाइसेंस-रहित बैंकों की वर्तमान स्थिति- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वित्तीय पैकेज -

i. यूनियन कैबिनेट ने 5 नवम्बर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में 23 लाइसेंस-रहित बैंकों के पुनरुत्थान के लिए वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है। लगाई जाने वाली कुल पूंजी की राशि 2375.42 करोड़ थी जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 673.29 करोड़ रुपए, राज्य सरकार का 1464.59 करोड़ रुपए और नाबार्ड का हिस्सा 237.54 करोड़ रुपए था।

ii. इस योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और नाबार्ड के बीच शर्तों का निर्धारण करते हुए देय राशि हेतु समझौता-ज्ञापन(एमओयू) के रूप में एक त्रिपक्षीय करार किया जाएगा। इस समझौता-ज्ञापन को भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है। भारत सरकार, सभी चार राज्य सरकारों और नाबार्ड ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

iii. भारत सरकार ने तीन राज्यों- उत्तर प्रदेश (401.17 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र(129.70 करोड़ रुपए), तथा पश्चिम बंगाल (31.20 करोड़ रुपए) की हिस्से की राशि जारी कर दी है। जहां महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सम्पूर्ण राशि जारी कर दी है, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने

आंशिक राशि जारी की है। 16 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 1074.57 करोड़ रुपए की जारी की जाने वाली कुल राशि में से उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (10 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को पूरी तरह से और 1 बैंक को आंशिक रूप से) को 610.00 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं, क्योंकि उनके पास 2014-15 के लिए बजट प्रावधान कम है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2015 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और केंद्र सरकार द्वारा अभी निधि जारी की जानी है।

22. नाबार्ड की यह सिफ़ारिश प्राप्त होने के बाद कि बैंक ने लाइसेंस प्राप्त करने के मानदंड प्राप्त कर लिए हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक उन बैंकों को लाइसेंस देने पर विचार करेगा और उनके लिए जारी डायरेक्शन को हटा लेगा, लेकिन ऐसा करना न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ऋणात्मक निवल मालियत की स्थिति

23. नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार डीसीसीबी के अलावा कर्नाटक में दो लाइसेंसधारी डीसीसीबी अर्थात (i) कोलार-चिकबल्लारपुर डीसीसीबी [(-)2.60 करोड़ रुपए] और (ii) शिमोगा डीसीसीबी [(-) 10.43 करोड़ रुपए] की निवल मालियत 31 मार्च, 2014 की तारीख को ऋणात्मक थी। हमने नाबार्ड को सूचित किया है कि वे इस मामले को राज्य सरकार/रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के साथ उठाएं ताकि उन बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने के समुचित उपाय किए जा सकें और वे बैंक 31 मार्च 2015 तक कम से कम 7 प्रतिशत का सीआरएआर प्राप्त कर सकें। हमने कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्य सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समिति को भी लिखा है कि उन बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएं।

III भावी दिशा

24. इस क्षेत्र के भीतर की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि क्षेत्र को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपाय लागू किए जाने चाहिए। पूर्व में, भारतीय रिज़र्व बैंक समन्वित कार्रवाई नहीं कर सकता था इसलिए यह क्षेत्र अस्थिर बन गया। आज इस क्षेत्र में अत्यधिक सुधार हुआ है और शायद अब समय आ गया है कि उसकी संरचना को इतना मज़बूत किया जाए कि वह रेगुलेटरी अपेक्षा के अनुरूप बन जाए। अब यह संभव हो गया है कि सहकारी बैंकों को कुछ समय में रेगुलेटरी पूंजी की अपेक्षा की ओर ले जाया जाए और समय पर आधारित उद्योग के मानकों के अनुसार क्रमिक रूप से पूंजी रखने का अनुपालन कराया जाए। इसके अलावा, बदलते परिदृश्य को देखते हुए इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या सहकारी बैंकों को नए सिरे से लाइसेंस प्रदान किया जाना होगा और एफएसडब्ल्यूएम सहकारिताओं के लिए एसएफबी/वाणिज्य बैंकों में निश्चित माइग्रेशन हेतु एक पथ लागू किया जाए और साथ ही साथ गवर्नेंस में सुधार लाने संबंधी प्रयास जारी रखे जाएं।

25. यह परीक्षण करना जरूरी है कि राज्यों में सहकारिता अधिनियमों में कितने परिवर्तन की संभावना है ताकि प्रत्येक उधारकर्ता को मत का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान शहरी सहकारी बैंकों को कमज़ोर न बनाए; आपको याद होगा कि इस प्रकार के प्रावधान से बड़ी अनियमितितापूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी जिसके तहत उधारकर्ताओं ने जोखिम उत्पन्न कर दिया था, बैंक को नियंत्रित करने लगे थे और जमकर्ता जो जोखिम उठा रहे थे उनके हाथ में कोई नियंत्रण नहीं था।

26. सदस्यों द्वारा प्रवेश के समय बही-मूल्य के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने की संभावना तथा सदस्यता छोड़ते समय बही-मूल्य पर हिस्से को विनिवेश करने की स्थिति का भी परीक्षण करने की आवश्यकता है, इस परीक्षण का उद्देश्य उपर्युक्त प्रोत्साहन का सृजन करना है ताकि सदस्यों को लाभ अथवा उनकी सदस्यता के दौरान एकत्रित आरक्षित-राशि का लाभ मिल सके।

IV. समापन

27. सहकारी बैंक अपनी संरचना, ग्राहक तथा ऋण संबंधी सेवा प्रदान करने के संबंध में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। हाल के विश्वस्तरीय वित्तीय संकट के दौरान इन बैंकों ने जो समुत्थान-शक्ति तथा स्थिरता दिखाई है उस दृष्टि से उनके महत्व को विकसित

तथा उभरते बाज़ारों की अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय प्रणाली में कम रेखांकित किया गया है। उनकी आंतरिक कमज़ोरियों जैसे न्यून-पूंजी, कमज़ोर-प्रबंधन तथा राज्य की हस्तक्षेपपूर्ण नीतियों के बावजूद भारत के सहकारी बैंकों ने अपने शताब्दी पुराने अस्तित्व से अनेक चुनौतियों का सामना किया है और 1991 से प्रारम्भ आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र सुधार से पैदा होने वाले स्पर्धात्मक वातावरण में लगातार विकास करते रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए हैं और धीरे-धीरे उनके लिए कमर्शियल बैंकों की तरह विवेकपूर्ण मानदंड तथा रेगुलेटरी निर्देश लागू किए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि सहकारी बैंक अपने कारोबार को विविध तरीके से बढ़ाने तथा अपने ग्राहकों का आधार व्यापक करने के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। यह आशा की जा सकती है की वर्तमान विधिक ढांचे में परिवर्तन करके, सहायक रेगुलेटरी वातावरण प्रदान करके, प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा कारोबारी नीतियों को नवीन बनाते हुए सहकारी बैंकों को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे समस्त क्षेत्रों में अपने डिलेवरी माडलों की सहायता से समान आर्थिक विकास की प्रक्रिया में और भी सार्थक योगदान दे सकेंगे।

28. ध्यान से सुनने के लिए आप सभी के प्रति धन्यवाद।